RIICO

GROW WITH RAJASTHAN

नागरिक अधिकार पत्र

Citizen Charter

रीको सिटीजन चार्टर

विभागीय उद्देश्य

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) वर्ष 1969 से ही अपने उद्देश्यानुसार राज्य में औद्योगिकरण की गति को तीव्र से तीव्रतर बनाने के लिये सतत् रूप से प्रयत्नशील है। निगम औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करता है एवं उनकी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी करता है साथ ही लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के उद्योगों को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और उद्यमियों को तकनीकी तथा प्रबंधकीय सूचनाएं/सेवाएं प्रदान करता है। निगम राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति के अनुसार राज्य में औद्योगिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भी तत्पर है।

औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन के सम्बन्ध में विवरण :-

- भूमि उपलब्धता के विषय में जानकारी निगम की वेबसाईट पर निरन्तर उपलब्ध रहती है।
- औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों का आवंटन ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाता है। ई-ऑक्शन के लिए राजस्थान सरकार के पोर्टल SSO ID पर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करते हुए कोई भी उद्यमी ई-ऑक्शन में नियमानुसार भाग ले सकता है।

- ई–ऑक्शन में भाग लेने के लिए अरनेस्ट मनी डिपोजिट (ईएमडी) जमा कराना जरूरी है। प्रत्येक भूखण्ड के ऑक्शन के लिए ईएमडी की राशि का निर्धारण निगम द्वारा नियमानुसार किया जाता है। अगर किसी बिडर के पक्ष में उच्चतम बोली के आधार पर बिड स्वीकृत हो जाती है तो ईएमडी, प्लॉट की कुल प्रीमियम राशि में समायोजित की जाती है। तथापि अगर सफल बिड के बाद भी बिडर प्लॉट को खरीदने से मना कर देता है तो इसे जब्त कर लिया जाता है। अन्य मामलों में ईएमडी को वापिस कर दिये जाने का प्रावधान है।
- आवंटन के पश्चात् लीजडीड निष्पादित होने पर आवंटनकर्ता के सभी अधिकार लीजडीड की शर्तो के अनुसार होते है।

वित्त हेतु विभिन्न ऋण योजनाएं :–

- परियोजना ऋण योजना।
- कॉरपोरेट ऋण योजना।
- मध्य अवधि बहुउद्देशीय ऋण योजना।
- रीको औद्योगिक क्षेत्र में भूमि क्रय हेतु ऋण योजना।
- उपयुक्त ऋण योजनाओं हेतु SSO ID के माध्यम से रीको ERP पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

  जनसंपर्क प्रकोष्ठ द्वारा रीको डिस्पोजल ऑफ लेण्ड रूल्स 1979 पुस्तिका वर्तमान दर रू. 177/– (जीएसटी सहित) विक्रय की जाती है।

आवेदन कहाँ करें? निस्तारण समय एवं आवेदन प्रपत्र

क्रम संख्या	योजना का नाम	सम्पर्क/आवेदन हेतु कार्यालय	निर्धारित/संपादित निस्तारण समय	विशेष विवरण
(अ) औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन के सम्बन्ध में :-				
1.	भूखण्ड आवंटन हेतु	ई-ऑक्शन के माध्यम से रीको की वेबसाईट www.riico.co.in पर/ सम्बन्धित इकाई कार्यालय	बिड स्वीकृति से 2 दिवस में भूखण्ड आवंटन हेतु ऑफर लेटर जारी किए जाने का प्रावधान है।	
2.	लीजडीड निष्पादन हेतु	लीजडीड के लिए निर्धारित प्रपत्र में भरकर सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/ वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय	2 दिवस	उप रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा लीजडीड का पंजीयन किया जाता है।
3.	ऋण प्राप्त करने के लिये लीजडीड वित्तीय संस्थान को प्रेषित करने हेतु	उपरोक्त कार्यालय में आवेदन/ रीको की वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन	2 दिवस	-
4.	संविधान में परिवर्तन/ पार्टनरशीप इत्यादि में परिवर्तन के लिये	उपरोक्त कार्यालय में आवेदन/ रीको की वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन	3 दिवस	निगम के नियमों/प्रचलित नीति के अध्याधीन।

5.	निर्धारित अवधि से अधिक समय अवधि बढाने के लिये, जैसे लीजडीड के निष्पादन/निर्माण कार्य एवं उत्पादन के लिये	उपरोक्तानुसार	3 दिवस	उपरोक्तानुसार
(ब) ऋण योजनाओं के संबंध में :–				
6.	वित्त हेतु विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी	प्रकोष्ठ प्रभारी विनियोजन प्रकोष्ठ, मुख्यालय	वेबसाईट पर उपलब्ध	अभ्यर्थी द्वारा उपस्थित होकर मौखिक जानकारी व उपलब्ध साहित्य का अध्ययन किया जा सकता है। वित्तीय योजनाएं (Financial Scheme) रीको की Website : www.riico.industries.raj.gov.in पर भी उपलब्ध है।
7.	निगम की विभिन्न ऋण योजनाओं के आवेदन पत्र	प्रकोष्ठ प्रभारी, विनियोजन प्रकोष्ठ, मुख्यालय	ऑनलाईन	अभ्यर्थी द्वारा sso.rajasthan.gov.in पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

8.	ऋण आवेदन पर दृष्टिकोण प्रस्तुति (प्रोजेक्ट लोन)	प्रकोष्ठ प्रभारी, विनियोजन प्रकोष्ठ, मुख्यालय	ऋण आवेदन राशि पर 0.10 प्रतिशत प्रोसेसिंग चार्ज + GST (Except for Land Financing Cases) के साथ आवेदन प्राप्त होने एवं समस्त आवश्यक सूचना व दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात 15 कार्य दिवस में प्रारंभिक प्रोजेक्ट क्लीरेंस कमेटी (IPCC) के निर्णयानुसार सैद्धान्तिक सहमति अथवा असहमति की सूचना।	अभ्यर्थी को परियोजना स्वीकृति समिति में सूचित किया जाता है।
9.	ऋण स्वीकृति (प्रोजेक्ट लोन)	प्रकोष्ठ प्रभारी, विनियोजन प्रकोष्ठ मुख्यालय	IPCC से सहमति के उपरान्त एवं समस्त आवश्यक सूचना एवं दस्तावेज प्राप्त होने के	स्वीकृत ऋण राशि पर 0.40 प्रतिशत सर्विस चार्ज + GST (Maximum Rs. 4.00 lacs)

			पश्चात् 60 कार्य दिवस में ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।	जमा कराने के पश्चात तत्काल स्वीकृति पत्र जारी कर दिया जाता है।
10.	कॉरपोरेट ऋण, मध्य अवधि बहुउद्देशीय ऋण, रीको औद्योगिक क्षेत्र में भूमि क्रय हेतु ऋण योजना	प्रकोष्ठ प्रभारी, विनियोजन प्रकोष्ठ मुख्यालय	ऋण आवेदन राशि पर 0.10 प्रतिशत प्रोसेसिंग चार्ज + GST (Except Land Financing Case) के साथ आवेदन पत्र प्राप्त होने पर समस्त संबंधित दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त 45 कार्य दिवस में ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।	स्वीकृत ऋण राशि पर 0.40 प्रतिशत सर्विस चार्ज + GST (Maximum Rs. 4.00 lacs) (Except Land Financing Cases) जमा कराने के पश्चात तत्काल स्वीकृति पत्र जारी कर दिया जाता है।
11.	निगम द्वारा प्रदत्त ऋण की वसूली हेतु विभिन्न योजनायें दिशा-निर्देशों की जानकारी	प्रकोष्ठ प्रभारी, विनियोजन प्रकोष्ठ मुख्यालय	तत्काल	अभ्यर्थी द्वारा उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

12.	ऋण का पुनर्सारणीकरण	प्रकोष्ठ प्रभारी, विनियोजन प्रकोष्ठ मुख्यालय	समस्त आवश्यक सूचना एवं दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात 30 कार्य दिवस के अन्दर में निर्णय।	वस्तुस्थिति के आधार पर पुनर्सारणीकरण स्वीकृति/अस्वीकृति संबंधी निर्णय लिया जाता है।
13.	ऋण का एक मुश्त निपटारा	प्रकोष्ठ प्रभारी, विनियोजन प्रकोष्ठ मुख्यालय	समस्त आवश्यक सूचना एवं दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात 45 कार्य दिवस के अन्दर में निर्णय।	इसमें राज्य स्तरीय समझौता समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है।

शिकायत कहाँ की जायें

औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन के सम्बन्ध में :-

क्रम संख्या	कार्य	शिकायत करने हेतु संबंधित अधिकारी का पद, नाम एवं कार्यालय
1.	भूमि आवंटन से सम्बन्धित शिकायत	सलाहकार (इन्फ्रा), रीको मुख्यालय, उद्योग भवन तिलक मार्ग, जयपुर
2.	विकास कार्यों से सम्बन्धित शिकायत	महाप्रबन्धक (सिविल), रीको मुख्यालय, उद्योग भवन तिलक मार्ग, जयपुर
3.	सम्बन्धित वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत	सलाहकार (इन्फ्रा), रीको मुख्यालय, उद्योग भवन तिलक मार्ग, जयपुर

ऋण योजनाओं के संबंध में :-

क्रम संख्या	कार्य	शिकायत करने हेतु संबंधित अधिकारी का पद, नाम एवं कार्यालय
4.	ऋण स्वीकृति में देरी	प्रकोष्ठ प्रभारी, विनियोजन प्रकोष्ठ, रीको मुख्यालय, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
5.	ऋण वसूली से संबंधित समस्या	प्रकोष्ठ प्रभारी, विनियोजन प्रकोष्ठ, रीको मुख्यालय, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

शिकायत या समस्या का निवारण उपरोक्तानुसार अंकित कार्यालय द्वारा 15 दिवस में न होने की स्थिति में प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष, रीको मुख्यालय, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर से संपर्क किया जा सकता है।

RIICO

GROW WITH RAJASTHAN

Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd.
Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur 302 005, Rajasthan
Tel. : 0141 4593201-05 • Fax : 0141 4593210
E-mail : riico@riico.co.in • Website : www.riico.co.in